न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोडा

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति गोमती शर्मा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 72/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. समेला पुत्र नेथी कौम रेबारी साकिन गांवडी तहसील बागोडा जिला जालोर।		1. तुलछाराम पुत्र देवा 2. भोलाराम पुत्र देवा 3. संवलाराम पुत्र देवा 4. छोगी पत्नि स्व. देवा जाति कलबी निवासी गांवडी 5. ओखा पुत्र महादेवा 6. करना पुत्र महादेवा जाति रेबारी निवासी गांवडी 7. लाछीकंवर पत्नि भोपसिंह जाति राजपुत तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गांवडी तहसील बागोडा जिला जालोर 8. खीयाराम तत्तकालीन पटवारी लाखनी हाल तहसील कार्यालय रानीवाडा 9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बागोडा।

उपस्थित :–प्रार्थी अधिवक्ता श्री रूगनाथानाम विश्नोई

निर्णय

दिनांक 4/10/2019

उक्त प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य विवरण विश्लेषण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी नये खसरा नम्बर 308 रकबा 3.92 हेक्टेयर मौजा गांवडी तहसील बागोडा में स्थित है, जिसके गत खसरा नम्बर 187 रकबा 25 बीघा 5 विश्वा थे । अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी आराजी नये खसरा नम्बर 284 रकबा 3.50 हेक्टेयर मौजा गांवडी में स्थित है, जिसके गत खसरा नम्बर 186, 168 थे तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की खातेदारी आराजी नये खसरा नम्बर 281 रकबा 1.79 हेक्टेयर मौजा गांवडी में स्थित है, जिसके गत खसरा नम्बर 294/167 व 593/168 थे तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी

उप खण्ड अधिकारी
बागो...

Scanned by CamScanner

आराजी नये खसरा नम्बर 277 रकबा 4.29 हेक्टयर मौजा गांवडी में स्थित है, जिसके गत खसरा नम्बर 175 व 188 थे।

प्रथम सेटलमेन्ट में गत खसरा नम्बर 176 गैर मुमकिन रास्ता कायम किया गया उक्त रास्ता गत खसरा नम्बर 186 व 168 के बीचो बीच से तथा गत खसरा नम्बर 594/168 व 593/168 के बीच से तथा गत खसरा नम्बर 188 व 175 के बीच से निकाला गया था। गत खसरा नम्बर 186 व 188 के नये खसरा नम्बर 284 जो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी तथा गत खसरा नम्बर 594/168 व 593/168 के नये खसरा नम्बर 281 अप्रार्थी संख्या 5 से 6 की खातेदारी में है तथा गत खसरा नम्बर 188 व 175 के नये खसरा नम्बर 277 जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज हैं। पूर्व में रास्ता नये खसरा नम्बर 284,281 व 277 के अनुसार बीच में प्रथम सेटलमेंट के नक्शा के अनुसार निकालना था उसे रिसेटलमेन्ट कर्मचारीयों ने उक्त अराजी के खातेदारान से मिलावट कर खसरा नम्बर 284 व 281 के दक्षिण माठ के चिपते व प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 308 के उतरी माठ के पास चिपते कायम कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 277 की पश्चिमी माठ के चिपते व प्रार्थी की खातेदारी खसरा नम्बर 308 के पूर्वी माठ के चिपते रास्ता खचरा नम्बर 285 गैर मुमकिन रास्ता कायम कर दिया गया था, उक्त खसरा नम्बरान के बीचो बीच चलने वाला रास्ता हटा दिया गया।

प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 308 के उतरी व पूर्वी माठ पर कदीम पुरानी माठ थी तथा बडे–बडे पेड माठ में खडे थे। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 285 पर सन् 2009 में नरेगा के तहत ग्रेवल सडक स्वीकृत हुई। उक्त सडक निर्माण की एजेन्सी ग्राम पंचायत गांवडी थी गांवडी के तत्कालीन सरपंच अप्रार्थी संख्या 7 व पटवारी हल्का लाखनी अप्रार्थी संख्या 8 ने अप्रार्थी संख्या 1 से 6 से मिलावट कर उक्त सडक निर्माण के समय प्रार्थी के उतरी व पूर्वी माठ के बडे–बडे वृक्ष कटवा कर प्रार्थी की आराजी के अन्दर सडक निर्माण कार्य करवा दिया। प्रार्थी ने इसका विरोध किया तथा रोकने की कानूनी कार्यवाही की परन्तु प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी के माठ के जो बडे बडे वृक्ष क़ाटे गये थे उसकी फोटो संलग्न पेश है।

प्रार्थी ने तहसीलदार बागोडा के समक्ष प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 308 का सही पैमाईश कर सीमांकन करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार बागोडा के आदेश से प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 308 का दिनांक 23.06.2014 को व दिनांक 12.02.2015 को पेमाईश की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 308 की दो मीटर भूमि पर अतिक्रमण किया जाकर ग्रेवल सडक का निर्माण करवाया गया बताया गया तथा खसरा नम्बर 284 के खातेदार अप्रार्थी 1 से 4 का गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 285 पर अतिक्रमण करना बताया गया। परन्तु प्रार्थी को उक्त दो मीटर भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा विवाद पैदा किया। दुबारा प्रार्थी ने राजस्थान सम्पर्क में भी उक्त आराजी के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज करवायी गई, जिसे भी जिला

उप खण्ड अधिकारी
बागोडा

Scanned by CamScanner

कलेक्टर द्वारा नियमानुसार निस्तारण करने का तसीलदार बागोडा को निर्देशित किया था तथा प्रार्थी ने तहसीलदार बागोडा को उक्त प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 308 का सीमांकन कर पत्थरगडी हेतु निवेदन किया गया। तहसीलदार बागोडा ने पत्थर गड्डी हेतु न्यायालय से आदेश लाने का नोटिस देकर हिदायत दी गई। नकल मौका रिपोर्ट राजस्थान सम्पर्क प्रति व नोटिस तसीलदार की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 द्वारा उक्त रास्ता खसरा नम्बर 385 की भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 308 की आराजी पर जबरदस्त तत्कालीन सरपंच व पटवारी हल्का से मिलावट कर रास्ता की जमीन बतायी गई है जो गलत है तथा उक्त को लेकर प्रार्थी को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के बीच भारी विवाद है, जिसमें प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 308 की सही पेमाईस कर सीमांकन किया जाकर पत्थर गढी हेतु निवेदन किया इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। परन्तु अप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहे, इस पर अप्रार्थीगण सं0 1 से 8 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षिय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजो का अवलोकन एवं मनन किया गया प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पैमाईश करवाकर पत्थर गढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बागोडा को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपनी अध्यक्षता में राजस्व टीम का गठन कर प्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा गावंडी के खसरा नम्बर 308 रकबा 3.82 है. की पैमाईश कर पत्थर गढी करवाकर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफतर हो।

5.10.19

(श्रीमति गोमती शर्मा) आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी बागोडा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gomati Sharma
Date: 2020.01.10 18:13:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: